

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु

ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्राम पंचायत - जगनाथपुर

विकास खण्ड - अदौटी

जनपद- भदोही

ग्राम पंचायत में दिनांक 9/6/23 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया -

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक में ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया -

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु. जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन)			पदनाम	मोबाइल नम्बर
		लिंग	जाति	उम्र		
1	वॉदनीदेवी जा० चन्दनभिश्म	पु०	GEN	28	अध्यक्ष	9721821187
2	प्रदीप बिन्दू दी	पु०	OBC	30	सचिव	9506426164
3	मिथिलेश प्रिया श० सूर्यविली	पु०	GEN	25	कोषाध्यक्ष	8318347153
4	रवि श० बृंदेश	पु०	GEN	21	सदस्य	8953301328
5	हुद्धनाथ श० स्वलद्व	पु०	SC	52	सदस्य	8853483636
6	प्रिया श० फुलचन्द	पु०	GEN	22	सदस्य	9598152998
7	फन्हैपा श० वंशीलाल	पु०	SC	49	सदस्य	8127640169
8	बन्दना जा० कमलेश	म०	GEN	40	सदस्य	9005591705
9	मीनू जा० समशी	म०	GEN	38	सदस्य	9005289378
10	सोनी जा० गोतम	म०	SC	37	सदस्य	9628586872
11	राजदुमारी जा० राजभाटी	म०	SC	40	सदस्य	9793433268
12	रीता देवी जा० धीरेन्द्र	म०	SC	38	सदस्य	7068399701
13	अनीता जा० अभानाथ	म०	SC	33	सदस्य	6394489245
14	सुशीला जा०	म०	SC	37	सदस्य	8953054863

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विभाग/ पंचायती राज विभाग/ राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।



- 4— पानी समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं हेतु रख—रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें। भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।
- 5— कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसें क्रियान्वयित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यतानुसार भुगतान करने एवं “**Sign Off**” हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल करने हेतु तकनीकि विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (**MOU**) एवं स्वीकृत पत्र (**CONSENT**) एवं अनुबन्ध प्रत्र (**CONTRACT**) हस्ताक्षरित करें।
- 8— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध करायें तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समर्स्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10— पानी समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने हेतु भी अधिकृत किया गया हैं तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति के निरिक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु—ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु—ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर—

क्रम	सकूल्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या निःअपूर्त
1	चादनी देवी	अध्यक्ष	चादनी देवी
2	प्रदीप बिंदु	सचिव	
3	मिथिलेश मिश्रा	कोषाध्यक्ष	मिथिलेश मिश्रा
4	रवि	सामान्य सदस्य	रवि मिश्रा
5	दुधनाथ	सामान्य सदस्य	दुधनाथ
6	प्रिया	सामान्य सदस्य	प्रिया
7	कर्मणा	सामान्य सदस्य	कर्मणा
8	वन्दना देवी	सामान्य सदस्य	वन्दना
9	मीनू	सामान्य सदस्य	मीनू
10	सोनी	सामान्य सदस्य	सोनी
11	राजकुमारी	सामान्य सदस्य	राजकुमारी
12	रीता देवी	सामान्य सदस्य	रीता देवी
13	अनीता देवी	सामान्य सदस्य	अनीता
14	शुश्रीला देवी	सामान्य सदस्य	शुश्रीला

